

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 34 / 2020

कैलाश पुत्र गौरया जाति जोगी निवासी ग्राम मालपुर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर।

.....रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध
आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 27.08.2020 व मुकदमा
सरकार बनाम रामवीर कैलाश वगैरा मि0न0 37 / 20

- उपस्थित :- 1. श्री दीवक शर्मा, अभिभाषक अपीलान्त
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 22.09.2021

अपीलान्त ने यह अपील खिलाफ आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 27.08.2020 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय ने अपीलान्त को ग्राम रणधीरगढ की आराजी खसरा नम्बर 1450 रकवा 1.50 है0 किस्म गैरमुमकिन नाला (सिवायचक) में से 0.04 है0 पर अतिक्रमण मानते हुये बेदखल कर पैनल्टी एवं 60 दिवस की सिविल कारावास की सजा की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

**अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)**

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पोंड एवं तहत पत्रावली तलब की गई।
मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्त ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आज्ञा खिलाफ कानून एवं रिकार्ड के विपरीत है जो काविल निरस्तनीय है। उन्होने यह भी जाहिर की अपीलान्त अपनी खातेदारी की आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है, अपीलान्त की खातेदारी से लगा हुआ ग्राम मालपुर में आराजी खसरा नम्बर 1450 रकवा 1.50 है 0 किस्म गैरमुमकिन नाला सिवायचक है। अपीलान्त अपने खातेदारी की भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है। पटवारी हल्का द्वारा झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपीलान्त के द्वारा गैरमुमकिन नाले की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उनके विरुद्ध तहसीलदार व हल्का पटवारी के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अपीलान्त को जबाब व सबूत पेश करने का कोई मौका नहीं दिया गया है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि विवादित भूमि की हल्का पटवारी के द्वारा कोई पैमाईश नहीं की गई है। अपीलान्त को अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2020 की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलान्त ने तहसीलदार भुसावर के यहां जाकर प्रकरण के संबंध में जानकारी की तो पता चला कि दिनांक 27.08.2020 को निर्णय पारित कर दिया गया है। नकल प्राप्ति दिनांक से अपील अन्दर म्याद हैं। अपीलान्त ने देरी को माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 म्याद अधिनियम प्रस्तुत किया है। अन्त में वकील अपीलान्तान ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।


पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलार भुसावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2020 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को बखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्त के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2020 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में सिवायचक आराजी का खातेदारी की आराजी से लगता होना, अन्य व्यक्तियों का भी विवादित भूमि पर अतिक्रमण होना एवं हल्का पटवारी द्वारा केवल अपीलान्ट के अतिक्रमण के सम्बन्ध में रिपोर्ट किये जाने का कथन किया है। पटवारी हल्का रंधीरगढ एवं भू अभिलेख निरीक्षक निठार द्वारा दिनांक 31.07.2020 को अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1450 गैरमुमकिन नाला पर काश्त कर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट की है। बयान हल्का पटवारी में भी अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर फसल खरीफ बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण किया जाना अंकित किया है। तहत न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.08.2020 में अपीलान्ट का तहत न्यायालय में उपस्थित होना स्पष्ट होता है। इस प्रकार पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण की बेदखली रिपोर्ट दिनांक 12.09.2019 एवं निर्णय दिनांक 27.08.2020 से स्पष्ट है कि अपीलान्ट संवत् 2077 खरीफ फसल से पूर्व भी विवादित भूमि पर अनाधिकृत काश्त कर अतिक्रमण किया है। परन्तु तत्समय भी अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी की पैमाईश कराये जाने संबंधी कोई उज्र नहीं किया जिससे अपीलान्ट का सिवायचक गैरमुमकिन नाला भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की जानकारी होना स्पष्ट है। सिवायचक भूमि के संरक्षण का दायित्व तहसीलदार का है। अपीलाधीन आदेश पारित करने में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अतः अपील सारहीन होने के कारण काबिल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है कि:-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली तहसीलदार भुसावर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2021 को सुनाया गया।


(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)